न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–25/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00019)

1. बशीर अहमद खान पुत्र श्री अजीम खान, उम्र 71 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट अलमास, पुलिस स्टेशन बलारा, जिला सीकर, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

——रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 21.03.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के आदेश दिनांक 30.12.2016 से असंतुष्ट होकर आर्म्स एक्ट की धारा 18 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 72/पी.एस. लक्ष्मणगढ का धारक है, जो कि कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा एक 12 बोर डीबीएल गन नम्बर 30366 ए/9 के लिये जारी किया गया था एवं इसके जारी किये जाने के पश्चात् प्रत्यथी जिला मजिस्ट्रेट सीकर द्वारा दिनांक 04.08.2016 तक इसका नवीनीकरण किया गया था, अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13.07.2016 को प्रत्यर्थी जिला मजिस्ट्रेट सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनकरण किया जावे, अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् प्रत्यर्थी द्वारा पुलिस अधीक्षक सीकर से अभिमत चाहा पुलिस अधीक्षक सीकर ने अपने पत्र दिनांक 26.08.2016 के द्वारा तथाकथित रूप से रिपोर्ट भिजवाकर अंकित किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध एक अपराधिक प्रकरण संख्या 56/1980 अन्तर्गत धारा 447, 323 आई.पी.सी. का दर्ज किया गया था जिसमें चार्जशीट संख्या 46/1980 के द्वारा न्यायालय में चालान पेश किया गया परन्तु न्यायालय ने अपीलार्थी को दिनांक 20.07.1980 को राजीनामें के आधार पर दोषमुक्त कर दिया, उपरोक्त रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया कि एक अन्य अपराधिक प्रकरण संख्या 48/2014, 323, 341, 336, 427, 451, 34 आई.पी.सी. में दर्ज होकर चार्जशीट नम्बर 43/2014 के द्वारा न्यायालय में चालान पेश किया गया परन्तु न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2014 को अपीलार्थी को अन्य धाराओं मे राजीनामे के आधार पर दोषमुक्त कर दिया किन्तु धारा 336/34 आई.पी.सी. में 250 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कर 20 दिवस के साधारण कारावास की सजा दी गई, उक्त आधारों पर पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनकरण नही किया जाने की सिफारिश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट के कथन जिया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को नोटिस जारी कर 15 दिवस की अवधि में

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, अपीलार्थी द्वारा नोटिस दिनांक 15.09.16 की अनुपालना में दिनांक 07.10.2016 को नोटिस का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया एवं उक्त प्रतिउत्तर के आधार पर प्रत्यर्थी द्वारा पत्र क्रमांक 187 दिनांक 20.10.2016 जिला पुलिस अधीक्षक सीकर को भिवाकर पुनः अभिमत चाहा परन्तु पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा अपने पूर्व के अभिमत को दोहराते हुए शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नही किये जाने की सिफारिश की गई जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पुलिस अधीक्षक सीकर की सिफारिश पर अमल करते हुए अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरसत कर दिया एवं थानाधिकारी बालारा को निर्देश दिया कि वह उक्त वर्णित शस्त्र अनुज्ञा पत्र में अंकित शस्त्र को तत्काल प्रभाव से जप्त कर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को सूचित करें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय महत्वपूर्ण तथ्यों एवं कानूनी आधार की अपेक्षा की गई है क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट सीकर द्वारा केवल जिला पुलिस अधीक्षक की सिफारिशों को मेकेनिकल रूप में स्वीकार कर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जबकि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 15 आर्म्ड लाईसेन्स के नवीनीकरण हेतु सक्षम अधिकारी को उन आधारों के सम्बन्ध में निर्देशित करती है जो कि लाईसेन्स के नवीनीकरण हेतु प्रासंगिक है आर्म्ड लाईसेन्स के नवीनीकरण के लिए प्रत्यर्थी जिला मजिस्ट्रट को केवल यह सुनिश्चित करना था कि क्या अपीलार्थी द्वारा आयुद्ध का विधि विरूद्ध उपयोग लाईसेन्स की अवधि के दौरान किया गया था, यदि अपीलार्थी द्वारा आयुद्ध का उपयोग किसी विधि विरूद्ध कार्य में नही किया गया है तो अधिनियम की धारा 15 की तहत लाईसेन्स का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक था परन्तु आक्षेपित आदेश दिनांक 30.12.2016 के द्वारा ना केवल लाईसेन्स का नवीनीकरण प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया बल्कि लाईसेन्स को निरस्त कर दिया गया है, जो विधि विरूद्ध एवं मनमाना होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र को रिवोक करने अथवा निरस्त करने एवं नवीनीकरण के आधार पूर्णतया भिन्न है एवं केवल मात्र इस आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध कुछ अपराधिक प्रकरण प्रथम बार लाईसेन्स जारी किये जाने से पूर्व दर्ज किये गये थे जो कि लगभग क्रमशः 36 वर्ष एवं 3 वर्ष पुराने है एवं जिनमें आयुद्ध के हस्तेमाल के सम्बन्ध मे कोई आरोप नही थे, अपीलार्थी का शस्त्र नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना विधि विरूद्ध प्रकट होता है इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को उन प्रकरणों मे जिनका हवाला आक्षेपित आदेश मे दिया गया है, दण्डित नही किया गया है, अतः प्रथम बार लाईसेन्स जारी किये जाने के पश्चात् नवीनीकरण किया जाना विधि अनुरूप था इसलिये आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी जिला मजिस्ट्रेट सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनाक 30.12.16 को निरस्त फरमाया जावें एवं प्रत्यर्थी जिला मजिस्ट्रेट सीकर को अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 72/पीएस लक्षमणगढ सीकर जिसमें कि 12 बोर

P.T.O.

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

डीबीबीएल गन नम्बर 30366 ए/9 दर्ज है, को अपीलार्थी के पक्ष में आगामी प्रयोज्य अवधि दिनांक 04.08.2019 तक के लिऐ नवीनीकरण करने के आदेश फरमाये जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पुलिस अधीक्षक, सीकर के पत्रांक सीकर/डी.एस.बी./शस्त्र/2016/428 दिनांक 24.11.16 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 56/1980 धारा 323, 447 भादसं मे दर्ज होकर 46/1980 के द्वारा चालान पेश न्यायालय किया गया तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.1980 को बरूए राजीनामा दोषमुक्त किया गया, मुकदमा नम्बर नम्बर 48/2014 धारा 323, 341, 336, 451, 427, 34 भादस में दर्ज होकर 43/2014 के द्वारा चालान पेश न्यायालय किया गया, न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2014 को धारा 323, 341, 451, 427, 34 भादसं में बरूए राजीनामा दोषमुक्त किया व धारा 336 भादसं में 250 रूपये का अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है तथा पुलिस अधीक्षक, सीकर द्वारा अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किया जाने की अनुशंषा नही की गई है जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2016 को पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2016 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।